25 पत्रावली पेश। आदेशिका के जरिये प्रार्थना पत्र पर निर्णय द्वारा पत्रावली का निस्तारण किया जा रहा है। आवेदक प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा० भू० रा० अ० के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खरीदशुदा निवेदन किया कि प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड संख्या खातेदारी की एक कृषि भूखण्ड संख्या 61 बनाप 138.88 वर्गगज का जो वाके ग्राम सांगरिया तह० व जिला जोधपुर के खसरा नं० 213 में आया हुआ है। उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी ने जरिये बेचान नामें के जरिये सेराराम पुत्र श्री सोना राम बहैसियत आम मुख्तयार रहमान खाँ पुत्र इब्फे खाँ से खरीद किया था। प्रार्थी ने उक्त कृषि भू भाग को खरीद करने के पश्चात अपने नाम से राज रेकर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु अप्रार्थी कार्यालय में आवेदन किया था जिस पर अप्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 213 के स्थान पर 214/1 मी० दर्ज कर दिया जो गलत है अत: राजस्व रेकर्ड में जो खसरा नम्बर 213 के स्थान पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूलवश खसरा नम्बर 214/1 मीन दर्ज हो गया है उसको दुरस्त कर व वापरन खाते में खसरा नम्बर 213 दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रेमाराम पुत्र भगताराम के नाम जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 2463 से अमलदारमद हुआ है। प्रार्थी अगर ना० करण से अगर असंतुष्ट है तो प्रार्थी नियमानुसार ना० करण की अपील करे. रिकार्ड बनाते समय कोई अशुद्धि नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र पर वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए शुद्धिपत्र के आधार पर ख० न० 213 दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वकील की बहस पर मनन किया। जमाबंदी में इन्द्राज ना० करण के आधार पर किया जाता है और हस्तगत प्रकरण में ना० करण संख्या 2463 ख० न० 214/1 मीन के संबंध में भरा गया एवं स्वीकृत किया गया। स्वीकृत ना० करण की

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हूबहू प्रविष्टि जमाबंदी में की गई। इस प्रकार जमाबंदी में जो ख. न. की प्रविष्टि की गई है इसमें किसी भी प्रकार की लिपि भी मं त्रुटि कारित होनी नहीं पाई जाती है अतः जमाबंदी इन्द्राज में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया 22/1/2025.	